भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2432
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डी. ए. वाई-एनआरएलएम के अंतर्गत आवंटन

2432. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के विशेषकर धुले और नासिक जिलों में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों का ग्राम-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से अब तक प्रदान की गई , आबंटित, जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विशेषकर महाराष्ट्र के धुले और नासिक जिलों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कृषि और संबंधित प्रयोजनों के लिए महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्व-सहायता समूहों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है;

(ङ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) इस योजना की अवधारणा से लेकर अब तक स्वीकृत , आवंटित, जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का विशेषकर महाराष्ट्र के धुले और नासिक जिलों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत, अक्टूबर 2024 तक देश भर में कुल 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.87 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र राज्य में संगठित 6,40,719 एसएचजी शामिल हैं, जिनमें से 12,756 एसएचजी धुले जिले में और 27,497 एसएचजी महाराष्ट्र के नासिक जिले में हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महाराष्ट्र सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संगठित किए गए एसएचजी का गांव /जिलावार ब्यौरा https://nrlm.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

(ख): एनआरएलएम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से नवंबर, 2024 तक स्वीकृत/आवंटित, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। केन्द्रीय अंश की निधियां राज्य सरकारों को जारी की जाती है, जिलों को नहीं।

(ग) से (च): 'नमो ड्रोन दीदी' योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत के 80% की दर से केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने का प्रावधान है, जो अधिकतम 8.00 लाख रुपये प्रति ड्रोन है। योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले कुल 15,000 ड्रोनों में से, पहले 500 ड्रोन प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) द्वारा वर्ष 2023-24 में अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके खरीदे गए हैं और चयनित स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के स्वयं सहायता समूहों को आपूर्ति किए गए 30 ड्रोन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों को कुल 3090 ड्रोन आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 325 महाराष्ट्र राज्य के लिए हैं। चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में से एक को अनिवार्य रूप से ड्रोन पायलट प्रशिक्षण तथा कृषि प्रयोजन के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक अनुप्रयोग हेतु अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त होगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयनित विद्युत सामान, फिटिंग और यांत्रिक कार्यों की मरम्मत करने के इच्छुक स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य /परिवार के सदस्य को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराए गए ड्रोन का उपयोग किसानों को तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किराये पर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

राज्य स्तर पर समिति, जिसमें राज्य के कृषि /कृषि अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, डीएवाई-एनआरएलएम के राज्य मिशन निदेशालय, राज्य सहकारी विभाग, अग्रणी बैंक/राष्ट्रीय

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य के लिए नामित प्रमुख उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) से सदस्य शामिल हैं जो ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त समूहों का चयन करने , ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित समूहों में राज्यों में डीएवाई - एनआरएलएम के तहत प्रगतिशील महिला एसएचजी का चयन करने , ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला एसएचजी के सदस्यों का चयन करने , जिले-वार ड्रोन उपयोग का आकलन करने , ड्रोन उपयोग के मौजूदा अंतर , उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताओं की पहचान करने, एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों के समन्वय में चयनित महिला एसएचजी को व्यवसाय उपलब्ध कराने/सुनिश्चित करने आदि के लिए जिम्मेदार है।

राज्यों को ड्रोन का आवंटन कुल फसल क्षेत्र , नैनो उर्वरक के उपयोग की कुल मात्रा और समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की संख्या के आधार पर किया गया है। अब तक राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कोई निधियां जारी नहीं की गई है।

अनुबंध-I

"डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत आवंटन" के संबंध लोकसभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2432 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>एनआरएलएम के तहत वर्ष 2014-15 से 30 नवंबर 2024 तक आवंटन, जारी निधि और व्यय</u>

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय आवंटन**	**केंद्रीय जारी निधि**	**व्यय***
1	आंध्र प्रदेश	1706.74	1167.43	1815.40
2	बिहार	6181.41	6309.94	11003.80
3	छत्तीसगढ़	1372.50	1256.54	2210.12
4	गोवा	48.04	33.50	47.58
5	गुजरात	978.73	778.83	1288.54

6	हरियाणा	576.25	276.56	423.00
7	हिमाचल प्रदेश	243.11	207.41	236.86
8	जम्मू और कश्मीर	741.25	784.43	895.11
9	झारखंड	2329.41	2127.40	3880.92
10	कर्नाटक	1989.90	1439.88	2422.15
11	केरल	891.61	635.76	1050.10
12	मध्य प्रदेश	2941.16	1924.23	3669.09
13	महाराष्ट्र	3755.26	3019.77	5190.06
14	ओडिशा	2981.79	2963.53	4966.82
15	पंजाब	279.96	180.78	286.50
16	राजस्थान	1493.50	1391.54	2381.89
17	तमिलनाडु	2338.05	2047.94	3879.69
18	तेलंगाना	1074.10	401.51	600.95
19	उत्तर प्रदेश	8896.06	6565.93	10595.46
20	उत्तराखंड	468.61	491.79	542.56
21	पश्चिम बंगाल	3320.76	3069.66	4920.20
22	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.25	24.50	19.74
23	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	34.50	12.88	9.36
24	लक्षद्वीप	17.14	4.82	9.71
25	लद्दाख	43.89	23.77	12.18
26	पुडुचेरी	95.75	64.03	52.38
27	अरुणाचल प्रदेश	605.30	438.76	455.28
28	असम	2417.06	2279.12	2640.88
29	मणिपुर	638.15	231.21	212.37
30	मेघालय	947.55	823.36	727.68
31	मिजोरम	749.58	344.75	322.45
32	नागालैंड	1013.83	546.54	533.14
33	सिक्किम	329.13	99.65	95.85
34	त्रिपुरा	1453.58	992.46	1103.50
	कुल	52,988.91	42,960.20	68,501.29

नोट: जारी केन्द्रीय अंश, राज्य अंश तथा अन्य प्राप्तियों की तुलना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित व्यय।